



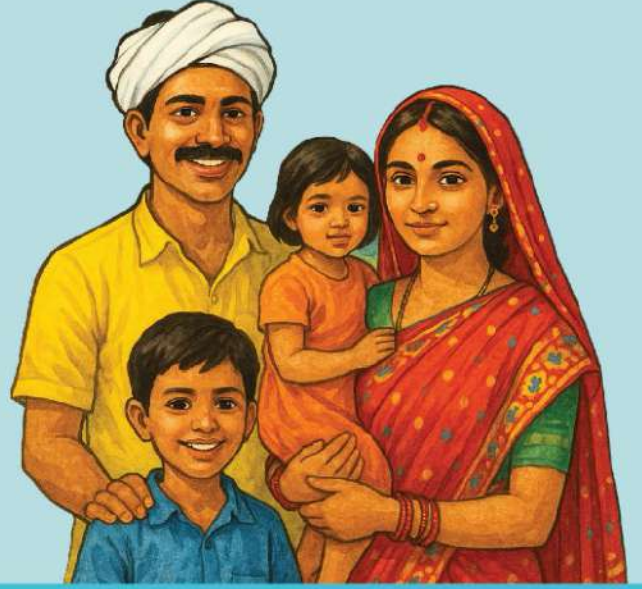
श्री नरेंद्र मोदी
मान. प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव
मान. मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना “निरामयम्”

राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी, मध्य प्रदेश
हर नागरिक का सम्मान -
स्वास्थ्य अधिकार



अस्पताल की जिम्मेदारी

- गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क व कैशलेस उपचार हितग्राही को प्रदान करना
- आयुष्मान कार्ड संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से समन्वय कर यथाशीघ्र कार्ड बनाना
- यदि किसी रोग से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक या सुविधाएँ नहीं हैं तो हितग्राही को अन्य संबद्ध अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए अथवा हितग्राही की पूर्ण जानकारी युक्त सहमति- पत्र लेकर ही उपचार किया जाए
- बिना किसी भेदभाव के सभी आयुष्मान हितग्राहियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना
- आयुष्मान हितग्राही के उपचार उपरांत फीडबैक फॉर्म प्राप्त करना
- यदि किसी हितग्राही से जाँच हेतु राशि ली है तो उपचार के दौरान या डिस्चार्ज के समय वापिस करना तथा रिकॉर्ड संधारण करना

आयुष्मान हितग्राही के अधिकार

- निःशुल्क व कैशलेस उपचार – भर्ती से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की जाँच व दवाइयाँ भी शामिल हैं
- भर्ती के दौरान फ्री दवा, भोजन और संपूर्ण उपचार सेवाएं प्राप्त करना
- उपचार से जुड़ी कोई समस्या या सुझाव हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अवगत कराना
- डिस्चार्ज के समय “मंगल कामना पत्र” प्राप्त कराना
- सभी चिह्नित बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज

हेल्पलाइन नंबर: आयुष्मान भारत SHA मध्य प्रदेश: 18002332085/NHA:14555

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

© www.Ayushmanbharat.mp.gov.in | f @ ABniramayamMP